

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या/भू अ०

दिनांक : 31/12/18

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-धावाटांड, थाना-देवघर (जसीडीह), थाना सं०-369, अंचल:-देवघर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना चांदडीह-तिलौना पथ भाया सिमरा, खसपेका, पिछड़ीबाद, मथुरापुर, हुसैनाबाद, कथारी पथ का पुनर्निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-धावाटांड, थाना-देवघर (जसीडीह), थाना सं०-369, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.995 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	1	36	रैयती	बाड़ी-1	0.05	गोपाल महतो पे० स्व० बैजनाथ महतो वो बबीता देवी माता स्व० चम्पा देवी वो वरुण वर्मा वो प्रसादी वर्मा वो अरुण वर्मा माता स्व० तारा देवी वो मनोज वर्मा पे० स्व० दुवराज महतो वो शंकर वर्मा वो भोला वर्मा वो नरेश वर्मा माता स्व० विमला देवी वो वासुदेव वर्मा माता स्व० पत्रिका देवी वो कांग्रेश वर्मा वो विनोद वर्मा माता स्व० जगदम्बा देवी वो नरेश वर्मा वो विभिषण वर्मा वो सुरेश वर्मा माता स्व० लखिया देवी वो जितेन्द्र वर्मा वो नवल वर्मा माता स्व० पार्वती देवी अंश समान सा० देह।	अर्जित दाग का अंश एवं रास्ता न० 3	अर्जित दाग का अंश	दाग संख्या 82	मौजा सेमरा, न० 37
2	1	27	रैयती	बाड़ी-2	0.025	तथैव।				
3	3	29	रैयती	बाड़ी-2	0.01	वासुदेव ठाकुर पे० स्व० मुड़ल ठाकुर वो राज ठाकुर पे० स्व० नाजीर ठाकुर अंश समान।				
4	4	26	रैयती	बाड़ी-2	0.03	बिजली देवी पति स्व० रामदेव वर्मा वो कामदेव वर्मा वो परमेश्वर वर्मा, माता स्व० फेकनी देवी अंश समान सा० देह।				
5	5	4	रैयती	बाड़ी-1	0.05	महेश दास पे० स्व० हीगन दास वो चनवा देवी पति रोहन दास पे० स्व० किनु महारा अंश समान सा० देह।				
6	6	1	रैयती	बाड़ी-2	0.08	गिरधारी पंडित वो बिहारी पंडित पे० स्व० हीरा पंडित वो धीरो पंडित वो राजकुमार पंडित वो सुकदेव पंडित पे० स्व० अमोली पंडित वो बालेश्वर वो नागेश्वर पंडित पे० स्व० कपिल पंडित वो सहदेव पंडित वो				

29-12-2018

						भूदेव पंडित पे० स्व० मोति पंडित वो मनेजर पंडित वो तानोज पंडित पे० स्व० शीतल पंडित वो गोपी पंडित पे० स्व० मकलू पंडित अंश समान।				
7	7	5	रैयती	बाड़ी-2	0.06	राधे दास वो भगलू दास वो सामू दास माता स्व० रूसनी देवी वो नरेश दास वो कारू दास पे० स्व० टेकन महारा वो सत्यरूपा देव्या पति स्व० भूदेव महारा वो गोवर्धन दास पे० स्व० शनिचर दास वो परमेश्वर महारा पे० स्व० भूम महारा वो कमली देवी पति स्व० राजगदी दास वो लक्ष्मी दास पे० स्व० बमभोला महारा अंश समान सा० देह।				
8	9	23	रैयती	बाड़ी-2	0.08	तमन गुप्त वो सोमनाथ गुप्त वो प्रवीर गुप्त वो प्रफुल्ल गुप्त पे० स्व० शशांक शेखर गुप्त वो लेखा गुप्त पति स्व० सपन गुप्त वो सनत गुप्त पे० स्व० शक्तिपद गुप्त वो चन्द्रशेखर गुप्त पे० स्व० राधाकांत सिकदार वो देवाशिष गुप्त पे० स्व० शक्ति शंकर गुप्त वो देविका गुप्त पति स्व० कार्तिक चन्द्र गुप्त वो गणेश चन्द्र गुप्त वो पूर्णचन्द्र गुप्त वो मिलनचन्द्र गुप्त वो मलयचन्द्र गुप्त पे० स्व० श्यामपद गुप्त अंश समान सा० देह।				
9	9	20	रैयती	बाड़ी-2	0.04	तथैव।				
10	10	22	रैयती	बाड़ी-2	0.10	रामदेव राव वो सत्यदेव राव वो महादेव राव वो ब्रह्मदेव राउत पे० स्व० जोगन राउत।				
11	10	18	रैयती	बाड़ी-1	0.05	तथैव।				
12	11	28	रैयती	बाड़ी-2	0.02	शंकर महतो पे० स्व० लटू महतो।				
13	12	2	रैयती	बाड़ी-1	0.03	शुभानी देवी पति स्व० कार्तिक दास वो शंकर दास वो महादेव दास वो सहदेव दास पे० स्व० बद्री दास वो सीता देवी पति स्व० एतवारी दास वो गोविन्द दास वो बासदेव दास वो गोपाल दास पे० स्व० जानकी महारा अंश समान सा० देह।				
14	12	3	रैयती	मकान में सहन	0.01	तथैव।				
15	13	31	रैयती	बाड़ी-2	0.035	अर्जून वर्मा वो दशरथ वर्मा पे० स्व० भूषण वर्मा वो नरेश वर्मा वो शालीग्राम वर्मा वो कार्तिक वर्मा पे० स्व० चिगड़ महतो वो बलराम वर्मा पे० स्व० गोपी वर्मा वो गंगिया देवी पति स्व० गनोरी महतो अंश समान सा० देह।				
16	14	24	रैयती	बाड़ी-2	0.30	सीता देवी पे० स्व० गौरी राउत वो सुमेश्वर राउत वो विष्णु राउत वो ब्रह्मदेव राउत पे० स्व० फैंकू राउत वो दीनानाथ राउत वो सुप्रकाश राउत पे० स्व० केहू राउत वो पलटू राउत वो जयदेव राउत माता				

						महामाया देवी वो प्रतिमा देवी पति स्व० मुरल राउत अंश समान सा० देह।				
17	14	21	रैयती	बाड़ी-2	0.09	तथैव।				
18	17	30	रैयती	बाड़ी-2	0.015	महादेव ठाकुर पे० स्व० नुनेश्वर ठाकुर वो प्रसाद ठाकुर पे० स्व० तारणी ठाकुर वो सीताराम ठाकुर वो सुबल ठाकुर वो प्रकाश ठाकुर पे० स्व० सोचित ठाकुर वो सन्तु ठाकुर माता स्व० उगनी देवी वो मुड़ल ठाकुर वो नाजीर ठाकुर पे० स्व० जानकी ठाकुर अंश समान सा० देह।				
19	18	6	रैयती	बाड़ी-2	0.39	शिवनन्दन झा वो उमाकांत झा पे० स्व० इन्द्रनारायण झा वो विनोदानन्द झा पे० स्व० अखिलानन्द झा वो उमाकान्त झा पे० स्व० नित्यानन्द झा वो शोभा देवी पति आनंदानन्द झा मतगी देव्या पति स्व० महानन्द झा वो निशिकांत झा वो उदयनारायण झा पे० स्व० त्रिपुरारी झा वो बलराम झा वो कृष्णानन्द झा वो मृत्युंजय झा वो महादेव झा वो नागेश्वर झा पे० स्व० मंगलानन्द झा वो योगेश झा पे० स्व० श्रवण झा वो सत्यानंद झा पे० स्व० पृथ्वीनाथ झा वो शिवशंकर झा पे० स्व० चन्द्रशेखर झा वो चुनरी देवी पति स्व० भुवनेश्वर झा वो सुशील झा वो दिवाकांत झा पे० स्व० चिंतामणी झा वो कौशल्या देवी पति स्व० रामप्रसाद झा वो गुणानन्द झा पे० स्व० बचूकनाथ झा वो भरत प्र० झा वो पूर्णानन्द झा पे० स्व० बुढानन्द झा अंश समान सा० खसपेका।				
20	18	12	रैयती	बाड़ी-2	0.33	तथैव।				
21	18	11	रैयती	बाड़ी-2	0.08	तथैव।				
22	18	9	रैयती	बाड़ी-2	0.12	तथैव।				
कुल रकवा-					1.995					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई

yal
29-12-2018

१

अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

Yd 28.12.18
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

29-12-2018
अपर समाहर्ता
देवघर

Sahni
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1126 / भू अ०, देवघर, दिनांक 31/12/18

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

Yd 28.12.18
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

29-12-2018
अपर समाहर्ता
देवघर

Sahni
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।